मध्यप्रदेश अधिनियम

श्रामां रे पन् १६७६

मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम, १६७६

विषय-सूची

भाराए:-

- १ संबिद्धा नाम, विस्तार तथा प्रारंभ
- २. परिभाषाएं.
- रं. अनुत्ती का संगोधन.
- ४. पोषण, प्रदाय, वितरण श्रादि का नियंद्रण करने की शक्सियां.
- प्र. आदेशों का प्रकाशन तथा तामील.
- इः शक्तियों का प्रत्यायोजन.
- ७. शास्तियां-
- प्रयत्न तथा दुष्प्रेरण.
- E निगमों द्वारा प्रपराध.
- २०. श्रपराधों का संज्ञान.
- ११. अपराधों का संक्षेपतः विवारण करने की जावित.
- १२ इस प्रधिनियम के प्रधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण.
- १३. नियम बनाने की गानित

धन् सूची.

मध्यप्रदेश श्राधिनियम

कमांक २१ सन् १९७६.

मञ्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) ग्रिधिनियम, १९७६

दिनांक ६ मार्च १६७६ को राज्यपाल की धनुमति प्राप्त हुई; मनुमित "सध्यप्रदेश राजपत" (भ्रसाम्बरण) में दिनांक २७ मार्च १६७६ की प्रथम दार प्रकाशित की गई 1

वशुधां के पोषण तथा संचलन का जनसाधारण के हित में उपबन्ध करने के हितु क्षितियन,

भारत गणराज्य के सत्ताइसने वर्ष में मध्यप्रदेश विधान महल हारा निम्नलिखित रूप में बहु मधिनियमित हो :—

(१) इस मधिनियम का संक्षिप्त गाम मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) प्रशिनियम, १६७६ है.

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

- (२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.
- (३) यह ऐसी तारीख को तथा ऐसे क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा जिन्हें/जिले राज्य सरकार, प्रधिसूचना द्वारा, नियत करें और जिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये जिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.
 - २. इस महिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएं
 - (क) "पशु" से श्रामिश्रेत है अनुसूची में विनिदिष्ट किये गर्थे पशुश्रों में से कोई पशु;
 - (ख) "निगम" ते श्रीभप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी श्रीधनियमिति के लिलीन गृद्धित या रिजिन्न किसा गया कोई निगमित निकाय तथा उसके भन्तगंत कोई कम्पनी, फर्म या व्यष्टियों की अन्य संधा श्राती है;
 - (ग) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" ते अभिन्नेत है उस फर्म का कोई भागीदार;
 - (भ) "अधिसूचित आदेश" से अभिनेत है राजपत्र में अधिसूचित किया सभा भोई आदेश.
- ३. राज्य सरकार, राजपत में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची म परिवर्धन या अनुसूची का परिवर्तन या संगोधन कर सकेंगी और ऐसी अधिसूचना के जारी किये जाने पर संगोधन, अनुसूची तवनुसार संगोधित की गई समझी जायनी.

योषण, वितरण

 (१) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक सुरक्षा या सार्वजनिक श्रादि सुविधा या लोक स्वास्थ्य में ग्राभिवृद्धि करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह, ग्रधिसचित बादेण हारा, ऐसे बादेण में विनिद्धि किये गये करने की माक्तियां. किसी विणिष्ट स्थान या क्षेत्र में किसी पशु के रखे जाने, उसका पोषण या संचलन किया जाने का प्रतिषेध या विनियमन कर सकेगी.

- (२) उपधारा (१) द्वारा प्रवत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकल प्रभाव डाले विना, उसके अधीन दिये गये किसी श्रादेश में निम्नलिखित के लिए उपवन्ध हो सकेंगे:---
 - (क) पशुभों को बांधने या इकट्ठा करने का, उनकी संख्या की तथा उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले स्थान की दृष्टि से, प्रतिषेध करने या विनियमन करने के लिए;
 - पण्यों का निरीक्षण करने के लिए तथा दग्धणालिक या दग्ध (ख) विकेता का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के श्रिष्टिभोग में के दुग्धालयों तथा पशु-सायवानों के सन्निर्माण, परिमाप, संवातन, प्रकाश, सफाई, जल-निकास तथा जल प्रदाय का विनियमन करने के लिए;
 - (ग) ग्वाला बस्तियों (कालोनी), दुग्धालयों तथा पशु-वाड़ों की-स्थापना या सन्निर्माण के लिए;
 - (घ) विनिर्दिष्ट स्थान या क्षेत्र में पणुग्रों के श्रायात के प्रतिषेध या विनियमन के लिए:
 - (ङ) इस श्रक्षिनियम के अधीन के विषयों में से किसी भी विषय का अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापन्न हारा या अन्यशा विनियमन करने के
 - (च) फीस के प्रभारण को सम्मिलत करते हुए किन्हीं भी ब्रानुषंगिक या अनुपुरक विषयों के लिए.

श्रादेशों प्रकाशन तथा तामील.

- प्र. (१) धारा ४ के अधील किया गया कोई आदेश,--
 - उस दशा में जबकि यह सामान्य प्रकार का आदेश हो या व्यक्तियों के किसी वर्ग को प्रश्तित करने वाला आदेश हो, राजपन में अधिसचित किया जायगाः;
 - (理) उस दशा में अविक वह आदेश किसी एकल व्यक्ति या किसी एकल निगम को प्रभावित करने वाला आदेश हो, बिह्न रीति में तामील किया जायगा.
- (२) जहां कोई ऐसा प्रश्न उठे कि तथा किसी व्यक्ति को धारा ४ के अनुसर्ण में किये गये किसी बादेश की सम्बक्षण से इत्तिला दी गई थी, वहां उपधारा (१) की या उसके 'प्रधीन बनाये गये विवर्गा की अपेक्षाच्यों का अनुपालन इस बात की निश्चायक सबत होगा कि उसे ऐसी इस्तिया की गई थी. किन्तु वार्त अपेटमधी का अन-पालन न करना किन्हीं अन्य साधनों से यह सावित करने का कि उसे इस प्रकार इत्तिला दी गई थी प्रवारण नहीं करेका गौड़ व उस आतेश की विश्विमान्यता की ही प्रभावित करेगा.

राज्य सरकार, श्रविस्चित ब्रादेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि धारा शक्तियों ४ के अधीन आदेश करने की शक्ति ऐसे अधिकारी हारा भी या स्थानीय प्राधिकारी को सम्मिलित करते हुए ऐसे प्राधिकारी हारा भी तथा ऐसे विपयों के संबंध में तथा ऐसी शतों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि उस अधिस्चित आदेश में विनिदिष्ट किया जाय, प्रयोक्तच्य होगी.

 (१) यदि कोई व्यक्ति धारा ४ के ग्रधीन किये गये किसी ग्रादेश का उल्लंबन करेगा, तो वह, दोषसिद्धि पर, कारानास से, जिसकी प्रविधि एक वर्ष तक् की हो सकेगी, या जुर्माने से दंडित किया जायगा.

- किसी श्रादेश के इल्लंघन को विचारण करने वाला कोई भी न्यायालय यह निर्देश वे सकेगा कि कोई ऐसा पशु, जिसके कि दारें में न्यायालय का यह समाधान हो गया हो कि धावेग का उल्लंघन किया गया है, तथा कोई ऐसा वान या जलयान था पशु, जिसके कि बारे में न्यायालय का यह समाधान हो गया हो कि उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की जानकारी से उसका उपयोग ऐसे पणु का वहन करने के जिए किया गया है, सरकार के पक्ष में समपहृत कर लिया जाय.
- किसी भी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो कि धारा ४ के ग्रधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उसके उल्लंघन की दुष्प्रेरित करता है, यह रामझा जायगा कि उसने उस ब्रादेश का उल्लंघन किया है.

प्रयत्न. द्ख्यरण.

(१) यदि धारा ४ के अधीन किये गये आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई निगम है, तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो उल्लंघन के समय उस निगम के कामकाज के संचालन के लिए उस निगम के प्रति वचनबद्ध था, उस निगम का भार-साधक था और उस तिगम के प्रति उत्तरदायी था, तथा साथ ही उस निगम को भी उस उल्लंघन का दोषी समझा जायना श्रीर तदनुसार थे इस बात के भागी होंगे कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय तथा उन्हें दंडित किया जाय :

निगमों : अपराध.

परन्तु इस उपधारा में अन्तविष्ट कोई भी बात विसी एसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साजित कर दे कि उल्लंघन उसकी आनकारी के विता हुआ था या कि उसने ऐसे उल्लंधन का निवारण करने के लिये समस्त सम्बक् तत्ररता वरती थी.

- (२) ज्याचारा (१) में अन्तिविष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी निगम हारा किया गया ही और यह सावित हो जाय कि वह ग्रनराध निगम के किसी निदेशक, प्रयंत्रक, सचिव वा ग्रन्य ग्रधिकारी की सम्मित्या भौनानुकूलता से किया गया है या कि कम्पनी के किसी निदेशक, प्रवन्धक, सचित्र या अन्य प्रधिकारी द्वारा की गई कोई उपेक्षा उस अपराध का कारण मानी जा सकती है, बहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिय या अन्य अधिकारी भी उस ग्रेपराध का दोषी समभा जायमा और तदनुसार इस बात का भागी होगा कि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय तथा उसे दण्डित किया याय.
- (१) ऐसे अधिकारी द्वारा, जो कि राज्य गरकार हारा प्राधिकृत किया जाय, उन तथ्यों के संबंध में, जिनसे कि अपराध बनता हो, की गई लिखित रिपोर्ट के विना कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन वण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा.

- (२) राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी, जो कि प्राधिकत किया जान, इस प्रिष्ठितमा के संभीन दण्डतीय किसी अपराध में लिए किसी कार्यवादियों के संस्थित किसी जो के या तो पूर्व या पण्यात , किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिस पर कि ऐसे अपराध की जारी को या तो पूर्व या पण्यात , किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिस पर कि ऐसे अपराध की आरोज कारी कार्यों हो, अपराध के समित के मंदे एक हजार कारी से अन्धिक धनरीति अर्थ किस के स्ति कर सके हारी प्राप्तिक धनरीति कर सके हारी प्राप्तिक किसे गये उसके (एज, यान का अन्यान के) मून्य से अन्धिक ऐसी और अन्यातिक से प्राप्तिक की अर्थ क्रिया किसे कि वह चित्रत सम्भ्री, भुगतान ही जाने पर जल प्रश्नु, धान या जलवान की, को कि इस प्रक्रितिवन के मधीन समपहृत किये जाने के दार्थित्वाधीन ही में से नाते अभिग्रहीत किया गया हो, तिन कर कर विषय जान
- (इ) उपधारा (२) के प्राचीन अथा उपवानम्बद समन-भन तथा भारिका भन्दाशि का ऐसे भविकारी का मुगतात हो जाने पर वह ज्यक्ति, यदि श्रीकरको में हो छोड़ दिशा कायमा और यदि ऐसे ज्यक्ति के विद्ध कोई कार्यशही किसी वाण्डिक न्यादालय में सम्भित की गई हो, तो समन को प्राये दोसम्भित रोपमा आयमा भीर उती अपराभ के सम्बद्ध में एसे ज्यक्ति या पणु, यान या जलयात के विद्ध और याणे की कोई भी कार्यशही किसी मी देशा में नहीं की जायगी
- (४) किसो सपराध का घोरत करने वाता अधिकारी किसी ऐसी सनुभाषि या सनुभाषत के जो कि संपराधी को इस अधिकियम के अधीत दिया गया हो, रह करने का प्रदिश दें सकेगा था यदि वह अधिकारी ऐसा करने के लिये संशवत न हो, तो वह इस मकार संगवत किये गये जिसी अधिकारी के पास ऐसी अनुशक्ति है। अनुजापत के उद्देशरण के लिए जा सबैया

अपराधी की संशेपतः विभारग करने की गक्तिः १९ दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (कमार्क १ सत् १९७४) की धारा २६० की उपयारा (१) में विनिद्धि किया गर्ये अपराधी का महोपता विचारण करते के लिये साम प्रक्रिय के लिये साम कोई भी प्रधम वर्ष मिलस्ट्रेट, धिमियोजन हिए एक एक में धारेटर किया जाने पर, किसी भी ऐसे धाराध का थी कि इस धिविनियम के धधीन कि इस मिलस्ट्रेट सम्बद्धि हो, उक्त सहिता को धारा २६२ से २६४ तक में अस्पादिष्ट उपसन्ती के धनुसार विचारण कर सकेगा.

इस प्रधितियम के प्रधीत को गई कार्रवाई का संस्थाण

- (1) विसी भी व्यक्ति के निषद किसी भी ऐसी वात है लिए की कि आर ४ के अधित किये तमें किसी श्रादेश के प्रनुत्तरण में शर्भावपूर्वक की गई हैं। यो जिसका सद्भावपूर्वक किया जाता श्रीशियत एहा हो, कोई भी बाद, अधिन अभ यो अन्य निधित कार्यवाही तहीं होंगी.
- (२) किसी भी एसा बात के द्वारा, जो प्रारा ४ के अदीन किसे असे किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गर्द हा या जिसका सदमादपूर्वक किया जाना आशिषित रहा के पहुंचार तथे स्मान्यक किसीय जाने वाले किसी जुनेकी ने के लिसे राज्य सरकार के विकास तर्दि भी, बाद एस पत्य विकिक कार्यवाही सही होगी.

नियम बनाने की प्रक्ति १२. (१) राज्यं सरकार अधिक्षिणी द्वारा, तथा पूर्व प्रकाशत की कर्त के सम्प्राधीन रहते हुए, ा प्रधितियम के शयोजन को कार्योगित करत के लिये जियम बना सकेगी

(२) उपधारा (१) के अधीन बनाये गये नियम विधान सभा के पटल पर रशे जायेंगे.

यनुसूची

- (१) ग्रांड (२) दैल (३) गाय
- (४) कलोर
- (४) दछड़े
- भैस
- वकरी
- भोड

भोपाल, दिनांक २७ मार्च १६७६.

क. १२२८६ - इनकीस-अ(प्रा.).-भारत के सर्विधान के अनुक्छेद ३४८ के खक्ड (३) के सनुसरण में मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) श्रविनियस, १९७६ (कमांक २१ सन् १९७६) का अंब्रेकी अनुवाद राज्यपाल ने प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा धारेशानुसार, सं. जु. सुराणा सचिव

MADHYA PRADESH ACT

No: 21 of 1976.

THE MADHYA PRADESH PASHU (NIYANTRAN) ADHINIYAM, 1976

Received the assent of the Governor on the 9th March, 1976; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary), dated the 27th March, 1976.]

An Act to provide in the interests of the general Public for the n'aintenance and movement of cattle.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Twentyseventh Year of the Republic of India as follows :-

(1) This Act may be called the Madhya Pradesh Pashu Short (Niyantran) Adhiniyam, 1976.

extent and commencement.

- (2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date and in such areas as Ithe State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different areas.
 - 2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) "cattle" means any of the animals specified in the Schedule;
 - (b) "corporation" means any body corporate constituted or registered under any enactment for the time being inforce and includes a company, firm or other association of individuals;
 - (c) "director" in relation to a firm means a partner in the
 - (d) "notified order" means an order notified in the official Gazette.
- The State Government may, by notification in the official Amendment of Gazette, add to or alter or amend the Schedule and on such noti- Schedule. fication being issued, the Schedule shall be deemed to be amended accordingly.
- (1) If the State Government is of the opinion that it is Powers to control necessary or expedient so to do for the purpose of promoting the maintenance, public safety or public convenience or public health, it may, by a supply, notified order, prohibit or regulate the keeping, maintaining or tion, etc. movement of any cattle in any particular place or area specified in such order.

- (2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), and an order made thereunder may provide--
 - (a) for prohibiting or regulating stalling of herding of Gattle in regard to the number thereof, and the place to be used for the purpose;

- (b) for the inspection of the cattle and regulating the construction, dimension, ventilation, lighting, cleaning, drainage and water supply of dairies and cattle sheds, in the occupation of persons following the trade of dairy men or milk seller;
- (c) for establishment or construction of Gwala colonies, dairies and cattle pens;
- (d) for prohibition or regulation of import of cattle in the specified place or area;
- (e) for regulating by licence, permit or otherwise any of the matters under the Act;
- (f) for any incidental or supplementary matters, including the charging of the fees

Publication and service of orders.

- 5. (1) An order made under section 4 shall—
 - (a) if it is an order of general nature or affecting a class of persons, be notified in the official Gazette;
 - (b) if it is an order affecting an individual person or an individual corporation be served in the prescribed manner.
- (2) Where a question arises whether a person was duly inormed of an order made in pursuance of section 4, compliance with the requirements of sub-section (1) or the rules made thereunder shall be conclusive proof that he was so informed, but failure to comply with the said requirement shall not préclude proof by other means that he was so informed or affect the validity of the order.

Delegation powers.

6. The State Government may, by notified order, direct that the power to make orders under section 4 shall be exercisable also by such officer or authority including local authority and in to such matters and subject to such conditions, if any, as may be specified in the order.

Penalties.

- 7. (1) If any person contravenes any order made under section 4, he shall on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine
- (2) Any Court trying the contravention of an order may direct that any cattle in respect of which the Court is satisfied that the order has been contravened, and any vehicle or vessel or animal which the Court is satisfied has been used with the knowledge of the person having the control thereof for carrying such Cattle, shall be forfeited to Government.

- Any person who attempts to contravene, or abets a Attempts and contravention of, any order made under section 4 shall be deemed. Abetment. to have contravened that order.
- 9. (1) If the person contravening an order made under Offences and section 4 is a corporation, every person, who, at the time the corporations. contravention was committed, was in charge of, and was responsible to the corporation for the conduct of the business of the corporation . as well as the corporation, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Brief & Style ST

- Provided that nothing contained in this sub-section shall riender any such person liable to any punishment, if he proves that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a corporation and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the corporation such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.
- 10. (1) No Court shall take cognizance of any offence Cognizance punishable under this Act, except on a report in writing of the facts constituting such offence made by such officer as may be authorised by the State Government.

- (2) The State Government or such officer as may be authorised may, either before or after the institution of any proceedings for any offence punishable under this Act, accept from any person charged with such offence by way of composition of the offence a sum of money not exceeding one thousand rupees, and direct the release of cattle, vehicle or vessel, which has been seized as liable to forefeiture under this Act, on payment of such further sum of money as he may deem fit not exceeding the value thereof estimated by him.
- (3) On payment of the composition money and additional sum of money, as provided under sub-section (2), to such officer, the person, if in custody, shall be set at liberty and if any proceedings have been instituted against such person in any criminal court, the composition shall be deemed to amount to an acquittal and in no case shall any further proceedings be taken against such person or cattle , vehicle or vessel in respect of the same offence.
- (4) The officer compounding any offence may order the cancellation of any licence or permit granted under this Act to the offender, or if not empowered to do so, may approach an officer so empowered, for the cancellation of such licence or permit.

2:115

Power , to try

11. Any Magistrate of the first class specially empowered offence summarily for the time being to try in a summary way the offences specified in sub-section (1) of section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) may, on application in this behalf being made by the prosecution, try in accordance with the provisions contained in sections 262 to 265 of the said Code any offence punishable under this Act.

Protection action taken under Act.

- 12. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made under
- (2) No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made under section 4.

Power to make rules.

- 13. (1) The State Government, may, by notification, and subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purpose of this Act.
- (2) The rules made under sub-section (1) shall be laid on the Table of the Legislative Assembly.

Schedule

- Bulls.
- 2. Bullocks.
- 3. Cows.
- 4. Heifers.
- 5. Calves.
- Buffaloes.
- Goats.
- Sheep.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-1976.